



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(04)परावि/प्रशा.1/आर.आर.डी.एस-2012/संस्थापन/2015/

2520

जयपुर दिनांक:- 7/12/15

—:आदेश:-

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2012 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 के नियम 19, 25, एवं 29 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय श्री राजीव तोमर मेरिट क्रमांक 175 रोल नम्बर 841399 (सामान्य वर्ग) को श्री अक्षय जोशी के नाम के नीचे एवं श्री सतपाल के नाम के अग्र को राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं। यह संगत तिथि इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में फाउण्डेशन कोर्स (प्रशिक्षण) के लिए रिपोर्ट करने की तिथि अथवा पूर्व में फाउण्डेशन कोर्स उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में इस विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार होगी:-

क्र.स.	मेरिट संख्या	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	श्रेणी	जन्म तिथि
1	175	841399	श्री राजीव तोमर	सामान्य	07.06.1967

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैं:-

1. उक्त नियुक्तियां एस.एल.पी. संख्या 18272-76/2008 (सिविल अपील सं. 2049- 2053 /2011) एवं रिट पिटीशन संख्या 6744/2008, 11200/2010, 5347/2015, 1085/2014 एवं डी.बी. स्पेशल संख्या 544/2015 एवं रिट पिटीशन संख्या 1862/2013 (कैप्टेन श्री गुरविन्दर सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
2. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प01(2)वित्त/ नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं F.14(1)FD/RULES/2013PT दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
3. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 15 (1) कार्मिक/ क-2/74 दिनांक 16.8.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।

4. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थी की नियुक्तियां राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 के नियम 19, 25, एवं 29 क उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
6. उक्त नियुक्ति सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
7. उक्त अभ्यर्थी को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो की इनमें एक दक्ष राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
9. सेवा में नियुक्ति किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गयी परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गयी राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
10. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-I अध्याय में आने वाले मामलो को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
11. यदि आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से (शासन उप सचिव, प्रशा-1, पंचायती राज विभाग, विकास खण्ड, शासन सचिवालय परिसर, जयपुर) में उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।
12. उक्त अभ्यर्थी आदेश जारी करने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर अपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) की सत्यापित प्रति के साथ निश्चित रूप से इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, राजस्थान, जयपुर में उपस्थित हो जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिये इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, राजस्थान, जयपुर द्वारा तय छात्रावास में प्रशिक्षण के दौरान निवास करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को आवश्यकता हो तो छात्रावास सुविधा उपलब्ध होगी।
13. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्तियां उनके चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
14. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हे अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

15. उक्त अभ्यर्थी 7 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(गिरीश पाराशर)
शासन उप सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय) माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी अ.शा. टीप दिनांक 17.11.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
8. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर।
9. महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले उक्त अभ्यर्थी से (जो विवाहित हो) के विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत कराने का श्रम करावें।
10. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/II) विभाग को उनके यूओ नोट क्रमांक एफ 7 (कार्मिक/क-4-II/2015 दिनांक 3.12.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
11. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
15. सम्बन्धित अधिकारी।
16. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सैल को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

(गिरीश पाराशर)
शासन उप सचिव (प्रशा.1)

